

[2023] 2 एस. सी. आर. 819

/

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो v.

आर्यन सिंह ईटीसी।

(आपराधिक अपील सं. 1025-1026/2023) अप्रैल 10, 2023

/

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीशगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 482-उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाना- अभियुक्त ने आरोप पत्र दायर किया, सी. बी. आई. द्वारा जांच के समापन पर-दो अभियुक्तों द्वारा आरोपमुक्त करने के आवेदन-निचली विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए, और उसके बाद, उच्च न्यायालय ने यू/एस. की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। 482 – अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय ने यू/एस के तहत सीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। 482 – यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही के निर्वहन और/या रद्द करने के चरण में। 482, न्यायालय को लघु विचारण करने की आवश्यकता नहीं है, इसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है-उच्च न्यायालय ने निर्णय और आदेश में कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं-यह वह चरण नहीं है जहां अभियोजन/जांच एजेंसी को आरोप साबित करने की आवश्यकता होती है-अभियोजन/जांच एजेंसी के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर मुकदमे के दौरान आरोप साबित करने की आवश्यकता होती है-साथ ही, यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 482 उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है या नहीं-इस प्रकार, अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

/

/

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: 2023 की आपराधिक अपील संख्या 1025-1026।

2021 के सी. आर. एम.-एम. सं. 54107 और 2022 के 8233 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 04.05.2022 के निर्णय और आदेश से।

/

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., वत्सल जोशी, शरत नांबियार, सुश्री साक्षी कक्कड़, अनिरुद्ध शर्मा प्रथम, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

819

820

/

[2023] 2 एस सी आर।

/

महेश जेठमलानी, आर. पी. भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अजय अवस्थी, मुग्धा पांडे, वेडो खलो, आदित्य सोनी, रजत गौतम, हर्षित सेठी, तुषान रावल, सऊद खान, निकलेश रामचंद्रन, एड.उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

/

1. आपराधिक गड़बड़ियों में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।2021 का आवेदन संख्या 54107 और 2022 का 8233 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एफ. आई. आर. संख्या 54107 की आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। आर. सी. 05120S0001 दिनांक 29.04.2020 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा

452,323,365,342,186,225,506 और 120-बी के अंतर्गत पुलिस स्टेशन स्टेट ग्राइम ब्रांच, चंडीगढ़ में पंजीकृत (पहले भारतीय दंड संहिता सी. की धारा

452,323,365,342,225,186,506,120-बी के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता सी. के पुलिस स्टेशन फेज-1, मोहाली में एफ. आई. आर. No.195 के रूप में दर्ज) के साथ-साथ उसी से उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री के. एम. नटराज ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, उपरोक्त की जांच सी. बी. आई. को सौंप दी गई थी, जिसके अनुसार उपरोक्त अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन, अपराध शाखा, चंडीगढ़ में <आई. डी. 1] पर प्रश्न गत एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी।

/

2.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुरू में, आरोपी आर्यन सिंह का नाम नई प्राथमिकी में नहीं था। हालाँकि, उसके बाद, जाँच के समापन के बाद, उक्त आर्यन सिंह के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया और उसे एक आरोपी के रूप में शामिल किया गया है।

/

2.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद दोनों आरोपी आर्यन सिंह और गौतम चीमा ने विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किए, जिन्हें गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय ने पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जैसे कि उच्च न्यायालय एक छोटी सुनवाई कर रहा था।

/

2.3 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने आरोपी आर्यन सिंह और ए के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

/

821

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह ई. टी. सी. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

गौतम चीमा। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप/आरोप साबित नहीं हुए हैं और अभियोजन पक्ष दुर्भाविनापूर्ण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ रद्द करने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने के चरण में, अभियुक्त को आरोपमुक्त करने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए था और/या यह मत व्यक्त नहीं करना चाहिए था कि आरोप साबित नहीं हुए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमे के दौरान और साक्ष्य के आधार पर आरोप साबित करने की आवश्यकता होती है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भी यह देखने में भौतिक रूप से गलती की है कि अभियोजन पक्ष दुर्भाविनापूर्ण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय

द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जांच सी. बी. आई. को सौंप दी गई थी और उसके बाद, जांच के समापन के बाद, आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और इसलिए, आपराधिक कार्यवाही/कार्यवाही की शुरुआत को दुर्भाविनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्या कोई आपराधिक कार्यवाही दुर्भाविनापूर्ण है, इस पर भी मुकदमे के समापन पर विचार किया जाना आवश्यक है न कि इस स्तर पर, अर्थात् धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग के स्तर पर।

/

/

/

2.4 श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा भी गुण-दोष के आधार पर कई प्रस्तुतियाँ की गई हैं, हालाँकि, ऊपर बताए गए कारणों से, हम अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए खारिज करके उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को दरकिनार करने के लिए इच्छुक हैं और उसके बाद अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ना है, हम गुण-दोष के आधार पर सी. बी. आई. के साथ-साथ अभियुक्त की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं कर रहे हैं।

/

3. अभियुक्त आर्यन सिंह की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. पी. भट्ट और अभियुक्त गौतम चीमा की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश जेठमलानी ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है।

/

3.1 संबंधित अभियुक्त की ओर से पेश दोनों विद्वान वकीलों ने प्रत्येक अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुतियाँ दी हैं। हालाँकि, वे सभी प्रस्तुतियाँ बचाव हैं, जिन पर मुकदमे के दौरान विचार किया जाना आवश्यक है। इसलिए, हम अभियुक्त के खिलाफ आरोपों पर गुण-दोष के आधार पर सी. बी. आई. के साथ-साथ अभियुक्त की ओर से की गई दलीलों पर विस्तृत रूप से विचार नहीं कर रहे हैं और/या उन पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस न्यायालय का कोई भी अवलोकन मुकदमे के दौरान किसी भी पक्ष को प्रभावित कर सकता है।

/

/

4. उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अभियुक्तों को आरोपमुक्त करने के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश को देखने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत सीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

/

4.1 उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष कार्यवाही की है, जैसे कि उच्च विचारण न्यायालय एक लघु परीक्षण कर रहा था और/या उच्च विचारण न्यायालय परीक्षण के समापन पर विद्वत परीक्षण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ आवेदनों पर विचार कर रहा था। विधि के मूल सिद्धांत के अनुसार, धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही के निर्वहन और/या रद्द करने के चरण में, न्यायालय को लघु परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने आम आक्षेपित निर्णय और आदेश में कहा है कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। यह वह चरण नहीं है जहाँ अभियोजन/जाँच एजेंसी को आरोप साबित करने की आवश्यकता होती है। अभियोजन/जाँच एजेंसी के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर मुकदमे के दौरान आरोपों को साबित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने इस स्तर पर अभियुक्त के खिलाफ जांच के दौरान एकत्र किए गए आरोपों और सामग्री में विस्तार से जाने में भौतिक रूप से गलती की है। निर्वहन के चरण में और/या धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय के पास बहुत सीमित अधिकार क्षेत्र है और इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसके लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है या नहीं।

/

/

/

4.2 उच्च न्यायालय द्वारा इंगित एक अन्य कारण यह है कि आपराधिक कार्यवाही/कार्यवाही की शुरुआत दुर्भावनापूर्ण है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जांच सी. बी. आई. को सौंपी गई थी। कि उसके बाद, जाँच के समापन पर, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने इस स्तर पर यह टिप्पणी करते हुए गलती की है कि आपराधिक कार्यवाही/कार्यवाही की शुरुआत दुर्भावनापूर्ण है। आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी या नहीं,

इस स्तर पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मुकदमे के समापन पर भी इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। किसी भी मामले में, इस स्तर पर, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह एक प्रथम दृष्टया मामला और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री है, जो आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक है।

/

/

/

823

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह ई. टी. सी. [एम. आर. शाह, जे.]

/

5. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, जब उच्च न्यायालय ने पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और इस न्यायालय द्वारा निर्वहन और/या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के स्तर पर शक्तियों के प्रयोग पर निर्णय ों को लागू करने में अपने विधि क्षेत्र को पार कर लिया है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने वाला आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और रद्द करने का विधि है।

/

5.1 उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपीलें सफल होती हैं। आरोपी आर्यन सिंह और गौतम चीमा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अपास्त करते हुए करने और रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश अपास्त करते हुए कर दिया जाता है। अभियुक्तों को मुकदमे का सामना करना होगा जिसके लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। हालाँकि, यह देखा गया है कि सभी दलीलें और बचाव, जो संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध हैं, मुकदमे के दौरान विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लिए खुले रखे जाते हैं।

/

/

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफ. आई. आर. में आरोप वर्ष 2014 से संबंधित हैं और चूंकि आठ साल से अधिक समय बीत चुका है, हम विद्वत विचारण विचारण न्यायालय को मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त करने का निर्देश देते हैं, लेकिन वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से 12 महीने के बाद नहीं। सी. बी. आई. वर्तमान आदेश को जल्द से जल्द संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर उल्लिखित

समय के भीतर मुकदमे को समाप्त करने में विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के साथ सहयोग करें।वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुज्ञात जाती है।

/

निधि जैन

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

(सहायक: अभिषेक अग्रिहोत्री, एलसीआरए)

/

/